आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91 व 1994–95 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2014–15 के समंकों के अनुसार प्रदेश में कुल बोये गये 242.35 लाख हैक्टेयर भूमि में से 101.71 लाख हैक्टेयर ही सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 76.62 लाख हेक्टेयर (97.21 प्रतिशत) भूमि कुओं, नलकूपो तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं व नलकूपो से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं व नलकूप सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है जिसके अनुसरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2002 में दिये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 30.10.2003 से सहायता विभाग का नाम बदल कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग कर दिया गया हैं।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है, जो शासन सचिव एवं आयुक्त, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन कार्य करता है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा **परिशिष्ट–1,** विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–2,** विभाग में स्वीकृत पदों की स्थिति **परिशिष्ट–3** पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

वर्ष 2017–2018 (दिसम्बर, 2017 तक) की उपलब्धियाँ

1. राज्य कार्यकारी समिति की वर्ष 2017–18 **(दिसम्बर, 2017 तक) में** मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.10.2017 को बैठक आयोजित की गई, उक्त बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

- सम्भागीय जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य 26 नागरिक सुरक्षा जिलों में प्रत्येक में 12 सदस्यीय District DQRT (जिला आपदा त्वरित कार्यवाही दल) उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया ।
- कृषि आदान–अनुदान हेतु पात्र काश्तकारों की सूची मय बैंक खाता विवरण तैयार करने हेतु आवश्यक व्यय एस.डी.आर.एफ. से अनुमत किये जाने का निर्णय लिया गया।
- स्टेट इमरजेन्सी ऑपरेशन सेण्टर के रिनोवेशन कर Modernization कराये जाने हेतु उपकरण क्रय करने के संबंध में निर्णय लिया गया।
- गृह विभाग के माध्यम से एसडीआरएफ को प्रशिक्षण एवं नाव आदि हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।

2. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5.09.2017 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, उक्त बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

- सूखा निर्देशिका 2016 की पालना में राज्य/जिला स्तर पर सुखा मोनेटरिंग केन्द्र की स्थापना एवं आवश्यक व्यय एसडीआरएफ से करने का निर्णय लिया गया।
- कृषि आदान–अनुदान का वितरण बैकों के माध्यम से करवाये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। इस हेतु DoIT से DBT Software बनवाने पर होने वाला व्यय एसडीआरएफ से वहन किये जाने का निर्णय लिया।
- वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में विभिन्न राहत गतिविधियों पर व्यय–राशि का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

- राज्य में जयपुर, अलवर एवं जोधपुर में स्थित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेण्टर का चयन किये जाने के संबंध में किये गये एम.ओ.यू. का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
- Minimum Standards of Relief for Victims of disaster एवं State Platform for Disaster Risk Reduction (SPDRR) का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2014–15, 2016–17 एवं 2017–18 में क्षमता संवर्द्धन एवं खोज बचाव उपकरणों हेतु विभागों को आवंटित राशि का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।
- राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सम्वत् 2071, 2072, 2073 एवं 2074 में लिये गये समस्त निर्णयों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

3. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं मे जलने, डूबने तथा मकान ढहने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।

4. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 23 की अनुपालना में भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाकर लागू कर दी गई है।

5. अनुच्छेद 31 की अनुपालना में अधिकांश जिलों की जिला आपदा प्रबन्धन योजनाये तैयार की जा चुकी है , जिनको समय –समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

6. आपदाओं के प्रबन्धन में संसाधनों व जन शक्ति की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी India Disaster Resource Network (IDRN) वेब साइट के माध्यम से समय–समय पर जिलों द्वारा अद्यतन की जा रही है।

7. भारत सरकार को आपदा प्रबन्धन की वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट भिजवाई जा चुकी गई है।

8. सम्वत 2073 में राज्य के 13 जिलों यथा अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, चूरू, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं उदयपुर के 5656 गांवों को खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित कर प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई है एवं प्रभावित जिलों में राहत गतिविधियों का संचालन कर राहत प्रदान की गई है।

9. विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन के क्रम में जिला व राज्य स्तर के मध्य पत्राचार व बजट आवंटन की प्रक्रिया सरल व त्वरित करने की दृष्टि से एक वेब आधारित कम्प्यूटर एप्लीकेशन राजकॉम्प के माध्यम से तैयार करवायी गई है। इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से जिलों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु मदवार ऑनलाइन डिमाण्ड की जाती है जिसकी विभाग संवीक्षा कर ऑनलाइन बजट आवंटन करता है। इसके अतिरिक्त विभाग विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट, आवंटन–व्यय पर नियन्त्रण, एसी–डीसी बिलों की प्रगति आदि की सूचना भी इसी वैब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। इस वेब एप्लीकेशन को और अत्यधिक सूचनावर्धक व उपयोगी बनाने हेतु समय–समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। IFMS के साथ इसका Integration भी किया जा चुका है।

अभाव स्थिति

1. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14608–40 दिनाक 30.11.2016 द्वारा सम्वत 2073 में राज्य के 13 जिलों यथा अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, चूरू, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं उदयपुर के 5656 गांवों को खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

2. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5353–72 दिनांक 18.05.2017 द्वारा सम्वत् 2073 में राज्य के 4 जिलो यथा श्री गंगानगर, जैसलमेर, करौली एवं जोधपुर के 57 गांवो को रबी फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

3. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10794–829 दिनांक 4.10.2017 द्वारा सम्वत् 2074 में राज्य के 5 जिलो यथा पाली, सिरोही, जालौर, बाडमेर एवं जोधपुर के 1746 गांवो को बाढ से खराबा होने के आधार पर खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

4. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12930–49 दिनांक 16.11.2017 द्वारा सम्वत् 2074 में राज्य के 13 जिलो यथा बाडमेर, भीलवाडा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर एवं सवाईमाधोपुर के 4151 गांवो को सूखे के कारण खराबा होने पर खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

मानसून 2017

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 27.06.2017 को प्रवेश किया। प्रदेश में मानसून अवधि के प्रथम दो माह में अतिरेक वर्षा हुई लेकिन अगस्त व सितम्बर माह में वर्षा बहुत कम हुई । माह जुलाई में पाली, जालोर, सिरोही तथा बाडमेर में अतिवृष्टि से बाढ की स्थिति उत्पन्न हो गई।

राज्य में 1 जून 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक की सामान्य वर्षा 530.08 मि.मी. के विरूद्ध 514.25 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो कि सामान्य से 2.98 प्रतिशत कम है। मानसून सत्र में 1 जून, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया हैः–

क्र. सं.	श्रेणी	नाम जिले	संख्या
1.	असामान्य वर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)	बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली	4
2.	अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)	जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद , प्रतापगढ़	6
3.	सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (–) 19 प्रतिशत तक)	बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ	9
4.	कम वर्षा (सामान्य से (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रतिशत)	श्रीगंगानगर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, झुन्झूनूं, सीकर, कोटा, बारां, बून्दी	14
5	न्यून वर्षा (सामान्य से (–) 60 प्रतिशत व इससे कम)	कोई नही	0

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2017 तक राज्य के वृहद, मध्यम एवं लघु बाँधों (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 11920.81 Mcum की तुलना में 8455.81 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 70.93 प्रतिशत है। राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 981. 65 Mcum की तुलना में 382.36 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का

38.95 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल भराव क्षमता का 68.50 प्रतिशत पानी दिनांक 30.9.2017 को भरा हुआ था।

मानूसन सत्र 2017 में राज्य में हुई वर्षा तथा गत 2 वर्षो से इसकी तुलना का जिलेवार विवरण **परिशिष्ट–12** पर उपलब्ध है।

ओलावृष्टि

राज्य में वर्ष 2017 में राज्य के 4 जिले यथा जैसलमेर, जोधपुर, करौली एव श्रीगंगानगर में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों, घायलों, क्षतिग्रस्त मकानों एवं पशुओं के लिये भी एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाई गयी। प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ।

पशु संरक्षण गतिविधियाँ –

सम्वत् 2073 में अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित 1193 पंजीकृत गौशालाओं के बड़े एवं छोटे कुल 433684 पशुओं हेतु राहत सहायता की स्वीकृति की गई । सम्वत् 2073 में बाड़मेर जिले के अभावग्रस्त ग्रामों में 102 पशु शिविर एवं जैसलमेर जिले में 124 पशु शिविरों के संचालन की स्वीकृति जिला कलेक्टर को जारी की गई ।

अतिवृष्टि/बाढ़

राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव कार्य

1. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में जलने, डूबने तथा मकान ढ़हने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।
2. मानसून वर्ष 2017 में माह जुलाई एवं अगस्त में हुई भारी वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न जिलों यथा पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर एवं बांसवाडा में लगभग 2476 व्यक्तियों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आरएसी, नागरिक सुरक्षा, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से बचाया गया, जिनमें से 42 व्यक्तियों को अलग–अलग स्थानों पर हेलीकॉप्टर की सहायता से एयर लिफ्ट करके बचाया गया।
3. मानसून वर्ष 2017 में हुई भारी वर्षा के कारण चार जिलों यथा बाड़मेर, जालोर, पाली व सिरोही में 38 स्थानों पर राहत शिविर खोले गये, जिनमें 1870 व्यक्तियों को ठहराया गया।
4. मानसून वर्ष 2017 में राज्य में बहने/डूबने के कारण 50 व्यक्तियों, दीवार/मकान गिरने के कारण 03 व्यक्तियों एवं आकाशीय बिजली के कारण 35 व्यक्तियों कुल 88 व्यक्तियों

की मृत्यु हुई है, जिनमें से 79 व्यक्तियों को 316.00 लाख रूपये (4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति) का भुगतान किया जा चुका है।

5. बाढ़ से प्रभावित 05 जिलों के 1746 गांवों को फसलों में हुए नुकसान का आंकलन गिरदावरी से किया जाकर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। फसलों में 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक फसल खराबा होने के कारण एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार प्रभावित किसानों को कृषि आदान–अनुदान वितरण किया जाना है। बाढ़ से प्रभावित किसानों को कृषि आदान–अनुदान वितरण करने, मकानों की क्षति, पशु क्षति, जनहानि, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों में हुई क्षति से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने हेतु एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता प्राप्ति हेतु भारत सरकार को 1957.98 करोड़ रूपये का ज्ञापन प्रेषित किया गया।
6. मानसून वर्ष 2017 में राज्य के 07 जिलों में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों/पुलों की तात्कालिक मरम्मत हेतु माह दिसम्बर 2017 तक 1805 कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है।

खोज एवं बचाव, प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्द्धन

वित्तीय वर्ष 2017–18 में खोज एवं उपाय उपकरण क्रय, क्षमता संवर्धन यथा प्रशिक्षण मद में विभिन्न विभागों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृत की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	नाम विभाग	प्रयोजन	राशि (राशि लाखों में)
1.	नागरिक सुरक्षा	मोटर बाईक फायर इंजिन	118.50
2.	नागरिक सुरक्षा	अग्निशमन वाहन	255.68
3.	नागरिक सुरक्षा	खोज एवं बचाव वाहन	39.52
4.	राज्य आपदा प्रतिसाद दल	नावें एवं रस्से क्रय	53.00
5.	ह0च0मा0 लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण	110.00
6.	राज्य आपदा प्रतिसाद दल	प्रशिक्षण गतिविधियां	170.01
7.	राज्य आपदा प्रतिसाद दल	खोज एवं बचाव उपकरण	565.00
8.	स्वायत्त शासन विभाग	खोज एवं बचाव उपकरण –हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म	2200.00
9.	जिला कलेक्टर्स	एनडीआरएफ के पीओएल हेतु	3.105
	योगः		3514.815

अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलक्टरों को स्थायी निर्देश हैं कि अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीड़ितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जावे इसके लिए राज्य सरकार से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (माह दिसम्बर 2017 तक) में क्रमशः 765.33 लाख एवं 679.61 लाख रूपये की राशि अग्नि पीडित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु जिलों को उपलब्ध करवाई गई।

राजस्थान राहत कोष

एस.डी.आर.एफ. में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में रूपये 5.00 करोड़ की राशि का प्रावधान करके उक्त कोष का गठन किया गया है। इस कोष का प्रबंधन/संचालन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस कोष में दिये गये अंशदान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में छूट का प्रावधान दिनांक 31.3.2018 तक किया गया है।

दिनांक 06.07.2010 को राजस्थान राहत कोष की राज्य स्तरीय समिति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में राजस्थान राहत कोष की आय नाममात्र की रह जाने के कारण इस कोष में प्रतिवर्ष 25.00 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान करवाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव बजट निर्णायक समिति में शामिल किया जाने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट प्रावधानों (B.E.) में 25.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 1.81 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रूपये 25.36 लाख राशि जिलों को बचाव/राहत कार्यों हेतु उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2013–14 के लिये अंकेक्षण पर 7,416/– रूपये तथा वर्ष 2014–15 के लिये अंकेक्षण पर 7,524/– रूपये व्यय किया गया। वर्ष 2015–16 के लिये अंकेक्षण पर 7500/–रूपये व्यय किया गया ।

वर्तमान में इस कोष में बचाव कार्यों हेतु रूपये 5.68 करोड़ की धन राशि उपलब्ध है।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) बजट प्रावधान एवं व्यय

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात पूर्व की भाँति ही 3 : 1 रखा है। वर्ष 2011–12 से 2017–18 की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	योग
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10
2015-16	827.25	275.75	1103.00
2016-17	868.50	289.50	1158.00
2017-18	912.00	304.00	1216.00
योग	4646.52	1548.82	6195.34

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये मूल बजट प्रावधान मद 2245–01 सूखा व 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लिये 1216.00 करोड़ रुपये स्वीकृत है।

वर्ष 2012–13 से 2017–2018 के अन्तर्गत आपदा राहत कोष/राज्य आपदा मोचन निधि की स्थिति परिशिष्ट 7 पर एवं इस कोष के अन्तर्गत अकाल राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 8 व परिशिष्ट 9 पर उपलब्ध है।

Administrative Set-up

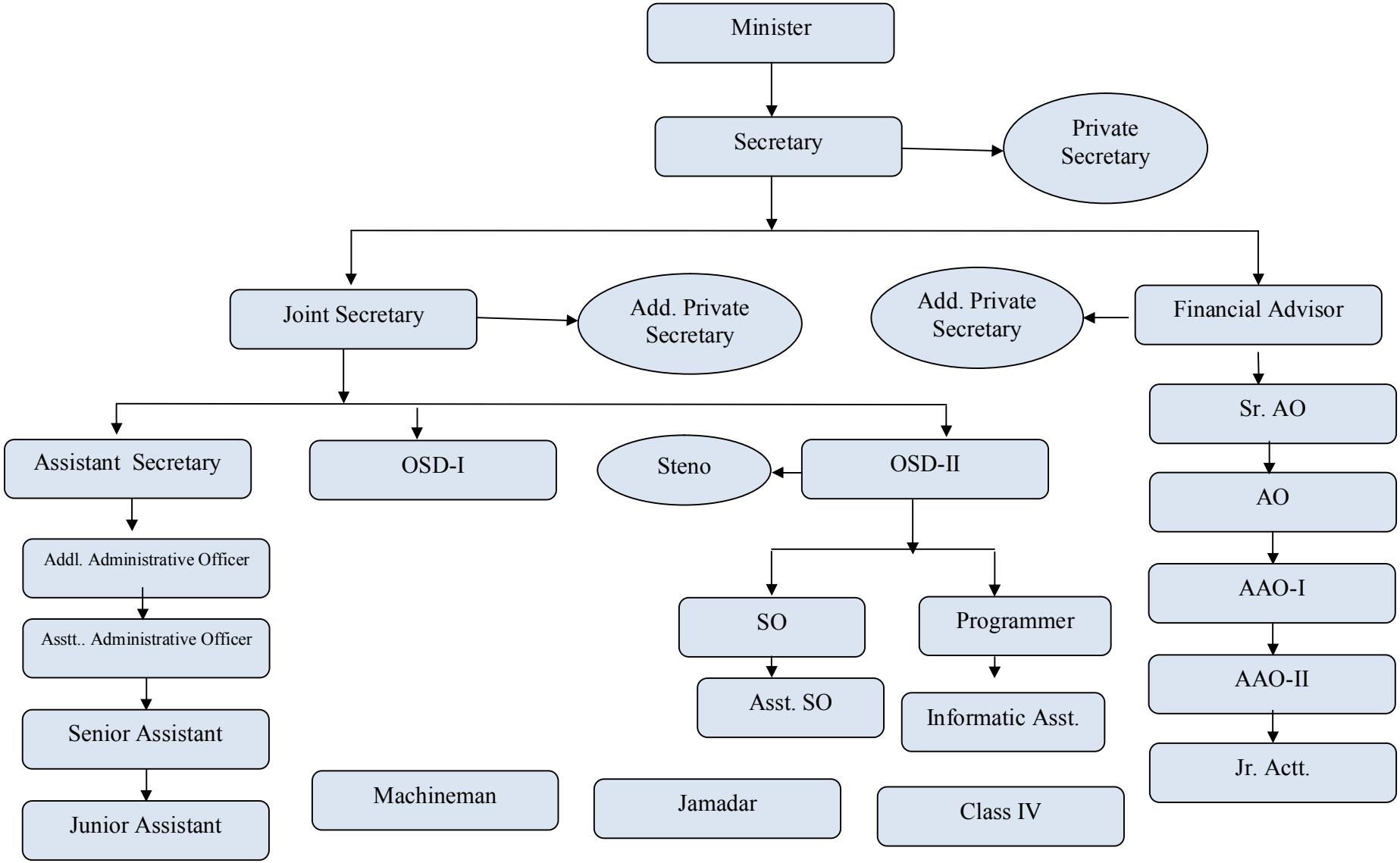

परिशिष्ट–2

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1	शासन सचिव	श्री हेमन्त कुमार गेरा	08.05.2017
2	शासन विशिष्ट सचिव	रिक्त	–
3	शासन उप सचिव	डॉ. अनिल पालीवाल	30.09.2015
4	वित्तीय सलाहकार	श्री लखपत मीणा	21.12.2017
5	सहायक आयुक्त एवं सहायक शासन सचिव	श्री रामखिलाड़ी मीना	20.06.2016
6	विशेषाधिकारी (2)	श्री बिजेन्द्र सिंह	30.03.2011
		श्री देशराज मीणा	28.04.2015
7	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्री राम सिंह कल्याण	05.02.2018
8	लेखाधिकारी	श्री मनोज कुमार गरवा	07.12.2016
9	सांख्यिकी अधिकारी	श्री कुंजबिहारी	18.03.2016
10	सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (2)	श्री शंकरलाल मीणा	15.12.2016
		श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया	01.04.2016
11	प्रोग्रामर	श्री मुकेश कुमार वर्मा	28.03.1994

परिशिष्ट–3

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	शासन सचिव	1	–
2.	विशिष्ठ शासन सचिव	1	1
3.	संयुक्त शासन सचिव	1	–
4.	वित्तीय सलाहकार	1	–
5.	सहायक आयुक्त एवं पदेन शासन सहायक सचिव	1	–
6.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	–
7	विशेषाधिकारी प्रथम	1	–
8	विशेषाधिकारी द्वितीय	1	–
9	निजी सचिव	1	–
10	लेखाधिकारी	1	–
11	सांख्यिकी अधिकारी	1	–
12	प्रोग्रामर	1	–
13	अति. निजी. सचिव	2	1
14	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2	–
15	अति.प्रशासनिक अधिकारी	1	–
16	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	32	12
17	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	–
18	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	2	–
19	शीघ्र लिपिक	1	1
20	वरिष्ठ सहायक	42	8
21	सूचना सहायक	2	1
22	कनिष्ठ सहायक	14	9
23	मशीन मैन	1	–
24	जमादार	3	2
25	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	–

परिशिष्ट–4

राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	वित्त मंत्री	सदस्य
3.	गृह मंत्री	सदस्य
4.	जल संसाधन मंत्री	सदस्य
5.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	सदस्य
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	सदस्य
7.	स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री	सदस्य
8.	कृषि तथा पशुपालन मंत्री	सदस्य
9.	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री	सदस्य

नोट :

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
4. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

परिशिष्ट–5

राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य सचिव

नोट : राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

परिशिष्ट–6

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य

प्राधिकरण के निम्नलिखित, स्थाई आमंत्रित होंगे :–

1. जिले के निर्वाचित संसद सदस्य, लोक सभा
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट (सहायता अनुभाग का भारसाधक अधिकारी) प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

परिशिष्ट–7

POSITION OF SDRF/NDRF

(Rs.in Crore)

Funds	**SDRF/NDRF 2012-13**	**SDRF/NDRF 2013-14**	**SDRF/NDRF 2014-15**	**SDRF/NDRF 2015-16**	**SDRF/NDRF 2016-17**	**SDRF/NDRF 2017-18 (Upto 31-12-2017)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
(A) SDRF						
Opening Balance	570.20	1141.99	999.22	288.02	209.40	326.04
Central Share	496.67	521.50	547.58	827.25	868.50	912.00
State Share	165.55	173.83	182.52	275.75	289.50	304.00
Receipt from Interest	65.47	75.02	59.67	-	22.16	-
Received from GOI	-	-	-	1378.13	990.82	301.65
Funds transferd by State Govt. in SDRF	101.90	0.53	-	-	-	-
Total Funds Available under SDRF	1399.79	1912.87	1788.99	2769.15	2380.38	1843.69
Expenditure	**257.80**	**913.65**	**1570.57**	**2559.75**	**2054.34**	**1454.78***
Closing Balance	**1141.99**	**999.22**	**218.42**	**209.40**	**326.04**	**388.91**
(B)NDRF						
Opening Balance	69.60	69.60	69.60	-		
Receipts	-	-	-	-		
Total Fund Available under NCCF	69.60	69.60	69.60	-		
Allotment Made	-	-	-	-		
Closing Balance	69.60	69.60	69.60	-		
Total Funds available Under SDRF& NDRF(A+B)	**1,211.59**	**1,068.82**	**288.02**	**209.40**	**326.04**	**388.91**

* Amount of Allotment

परिशिष्ट–8

वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16,वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

गतिविधि का विवरण	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–2017	वर्ष 2017–2018 (दिनांक 31-12-2017 तक आवंटित राशि)
1	3	4	5	6
1. अनुग्रह सहायता	266.40	-21.17	3.50	-
2. पीने के पानी की आपूर्ति	969.23	958.40	2081.53	211.00
3. चारा परिवहन	52.28	478.04	-	-
4. पशु पोषण केन्द्र	-	-	-	-
5.पशु शिविर / गौशाला	14656.90	20864.64	12807.40	13433.00
6. पशु चिकित्सा	-	-	-	-
7 दवाओं की पूर्ति	-	-	-	-
8. अन्य विशेष राहत कार्य	(-) 1.20	-	-0.74	-
9. अग्नि सहायता	560.04	635.88	765.33	679.61
10.सर्च एवं रेस्क्यू एव प्रशिक्षण	576.86	64.50	244.90	-
11.कृषि आदान अनुदान	60585.87	7128.17	175506.33	111629.00
12.अन्य सहायता	-	1.48	16.40	-
योग	**77666.38**	**30109.93**	**191424.65**	**125952.61**

परिशिष्ट–9

वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	गतिविधियाँ	वर्ष			
		2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 (दिनांक 31-12-2017 तक आवण्टित राशि)
1	2	4	5	6	7
1.	आनुग्रहिक राहत	-	190.76	8.78	-
2.	पीने के पानी की आपूर्ति	-	-	-	-
3.	पशु चिकित्सा	-	-	-	-
4.	सड़कों की मरम्मत	1492.12	4053.96	6618.78	9419.00
5.	बिजली पुनरूद्धार	-	-	-	-
6.	सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	248.07	261.76	330.64	453.00
7.	प्रशिक्षण	-	-	-	-
8.	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	-	-	-	-
9.	खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	44.62	1586.10	-	-
10.	शोकार्त परिवारों को सहायता	-	336.54	316.00	242.00
11.	घरों की मरम्मत	1427.53	3031.63	372.24	926.00
12.	ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	74539.79	214979.73	6050.25	7358.00
13.	डिसिल्टिंग	-	522.33	-	-
14.	पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता	49.25	310.72	12.08	83.00
15.	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धि कार्य	1589.12	591.91	300.77	311.00
16.	नगर निगम को सहायता	-	-	-	-
17.	नगर पालिका / परिषदों को सहायता	-	-	-	-
18.	पंचायत समिति / जिला परिषदों को सहायता	-	-	-	-
19.	मानवीय दवाइयों की आपूर्ति	-	-	-	-
20.	परिचालन लागत	-	-	-	-
21.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	-	-	-	-
22.	अन्य सहायता (कृषि आदान अनुदान)	-	-	-	306.00
	योग	**7,9390.50**	**225865.44**	**14009.54**	**19098.00**

परिशिष्ट–10

List of Nodal Departments

S.No.	**Name of Nodal Department**	**Related Disaster**
1.	Disaster Management & Relief	Droughts, Hailstorms, Heat Wave,Frost and Cold wave, Thunder & Lightening, Cyclones,
2.	Energy	Disaster involving power generation/ distribution/ transmission
3.	Home	Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical and Biological & Nuclear and Radiological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,
4.	Water Resources	Floods, Flash Floods, Dam Bursts & Cloudbursts
5.	PWD	Earthquake, Major Building Collapse, Landslides
6.	Mines & Petroleum	Mine Fire and Mine Flooding,Oil Spill
7.	Industries	Chemical & Industrial Disasters
8.	UDH	Urban Fires
9.	Revenue	Village Fire and Boat Capsizing
10.	Forests	Forest-Fire
11.	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12.	Agriculture	Pest Attack,
13.	Animal Husbandry	Epedemic in Animal Population

परिशिष्ट–11 (अ)

EXTENT OF SCARCITY (Kharif)
SAMVAT 2073

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (50 से 100 प्रतिशत खराबे वाले)	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में)	खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (है0मे 33 से 100 प्रतिशतं)	प्रभावित ग्रामों की संख्या			खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	कुल पशु संख्या (लाखों में)	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अजमेर	1140	38	0.21	5.21	4.17	1735	0	0	38	177.00	10114	10114	19.65	0.09
2	बाड़मेर	2727	2478	24.01	23.78	15.73	1085856	145	1236	1242	172522.00	631861	0	53.67	51.88
3	भीलवाड़ा	1912	204	7.21	6.05	4.14	48435	337	202	2	194.08	1016608	665607	24.45	6.73
4	चित्तौड़गढ़	1787	4	7.84	4.10	3.18	60213	963	2	2	30546.60	1315139	968369	13.77	7.43
5	चुरू	917	117	4.06	11.36	9.81	92758	33	102	15	11440.80	0	0	18.50	2.22
6	जैसलमेर	841	726	6.13	28.37	7.90	509271	46	181	545	106498.00	645895	461479	31.95	9.70
7	जालौर	809	383	8.27	8.59	5.82	245747	14	60	323	639.81	3853767	1085555	16.31	3.44
8	झालावाड़	1635	687	13.66	3.90	3.35	326340	924	687	0	42708.00	1363981	1067917	10.25	8.26
9	जोधपुर	1877	269	7.93	19.15	12.98	219728	153	253	16	46392.60	1295255	653036	35.90	3.79
10	नागौर	1649	15	0.90	15.69	11.96	17502	13	15	0	4048.42	138785	17360	31.50	0.21
11	पाली	1055	170	3.57	8.45	5.67	150597	0	5	165	1505.97	2081455	477862	23.02	1.18
12	राजसमंद	1081	49	1.32	2.15	0.94	6867	4	49	0	824.00	214741	214741	11.27	0.65
13	उदयपुर	2544	516	4.63	6.46	2.38	31666	0	516	0	2555.00	405152	405152	27.81	4.33
	योग	19974	5656	89.74	143.26	88.03	2796715	2632	3308	2348	420052.30	12972753	6027192	318.05	99.91

परिशिष्ट–11 (ब)

EXTENT OF SCARCITY (Rabi)
SAMVAT 2073

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (50 से 100 प्रतिशत खराबे वाले)	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में)	खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (है0मे 33 से 100 प्रतिशत)	प्रभावित ग्रामों की संख्या			खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	कुल पशु संख्या (लाखों में)	प्रभावित पशु संख्या
								33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	जैसलमेर	839	5	1.61	25.05	2.93	2454	20	5	0	2213.11	190267	0	10.50	97676
2	जोधपुर	1878	15	4.74	12.86	4.70	30529	142	14	1	53706.42	520622	43948	14.75	267209
3	करौली	895	5	0.11	2.19	1.80	1583	0	5	0	938.00	421391	18233	8.35	0
4	गंगानगर	3060	32	0.18	8.66	5.75	5864	8	21	11	3433.00	87700	87700	10.65	9095
योग		6672	57	6.64	48.76	15.18	40430	170	45	12	60290.53	1219980	149881	44.25	373980

EXTENT OF SCARCITY (Kharif - Flood)
SAMVAT 2074

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (50 से 100 प्रतिशत खराबे वाले)	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में)	खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (है0मे 33 से 100 प्रतिशत)	प्रभावित ग्रामों की संख्या			खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	कुल पशु संख्या (लाखों में)	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बाड़मेर	2727	231	1.97	2.11	1.13	71238	6	76	155	19936.50	94841	513	53.67	2.05
2	जालौर	809	494	10.46	8.59	5.74	243771	70	341	153	45349.40	3398067	2134942	16.31	4.57
3	जोधपुर	1877	4	0.13	0.12	0.09	2384	1	4	0	309.00	13382	13382	35.90	0.03
4	पाली	1055	509	12.79	8.33	5.68	265008	161	306	203	24558.10	3276080	3276080	23.02	4.54
5	सिरोही	516	508	10.13	2.29	1.56	151765	0	10	498	42995.80	940784	0	9.11	9.11
योग		6984	1746	35.48	21.44	14.20	734166	238	737	1009	133148.80	7723154	5424917	138.01	20.30

EXTENT OF SCARCITY (Kharif - Drought)
SAMVAT 2074

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (50 से 100 प्रतिशत खराबे वाले)	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में)	खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (है0मे 33 से 100 प्रतिशतं)	प्रभावित ग्रामों की संख्या			खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	कुल पशु संख्या (लाखों में)	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बाड़मेर	2727	1717	18.91	22.68	15	688095	175	1346	371	109356	550158	480389	53.67	36.72
2	भीलवाड़ा	1921	191	6.70	5.31	4.12	88594	448	119	72	18211	1019953	533319	17.55	8.34
3	बीकानेर	957	52	7.48	25.93	14.46	112644	42	47	5	8226	681487	11145	27.73	4.20
4	चुरू	917	174	5.28	12.74	11.12	167975	31	118	56	15443	0	0	18.50	4.01
5	डुंगरपुर	1009	106	1.64	1.93	1.33	7657	0	106	0	520	8234	4134	10.90	1.31
6	गंगानगर	3060	25	0.08	9.28	5.92	696	0	0	25	36	31530	31530	15.85	0.00
7	हनुमानगढ़	1917	141	3.53	8.88	7.80	73709	2	141	0	35071	303443	247190	13.31	0.07
8	जयपुर	2400	328	4.05	8.01	5.66	100313	3	290	38	27501	625756	625756	28.04	2.97
9	जैसलमेर	845	645	6.43	28.38	8.03	501291	32	415	230	93162	628552	438219	31.95	9.67
10	झुंझुनु	960	131	5.64	4.74	3.78	28220	1	131	0	2493	279238	0	12.85	1.57
11	जोधपुर	1880	193	4.33	19.17	12.95	188449	183	57	136	8880	1853	0	35.90	1.90
12	नागौर	1650	24	0.91	15.03	12.08	50390	22	24	0	3538	0	0	31.50	1.00
13	सवाई माधोपुर	830	424	6.04	3.18	1.77	72868	118	199	225	9091	1419492	1141894	8.04	2.25
योग		21073	4151	71.02	165.26	104.02	2080901	1057	2993	1158	331528	5549696	3513576	305.79	74.01

परिशिष्ट–12

Districtwise Average Rainfall
1st June to 30th September (2015 – 2017)

S. No.	District	2015			2016			2017		
		Normal Rainfall	Actual	% Deviation	Normal Rainfall	Actual	% Deviation	Normal Rainfall	Actual	% Deviation
	Ajmer Division									
1.	Ajmer	429.60	397.17	-7.55	429.60	534.80	24.5	429.60	483.40	12.52
2.	Bhilwara	580.90	406.11	-30.09	580.90	817.31	40.7	580.90	517.73	-10.87
3.	Nagaur	348.50	401.37	15.17	348.50	436.54	25.3	348.50	371.31	6.54
4.	Tonk	566.00	476.80	-15.76	566.00	726.38	28.3	566.00	416.38	-26.44
	Bharatpur Division									
5.	Bharatpur	557.60	412.72	-25.98	557.60	645.35	15.7	557.60	330.91	-40.65
6.	Dholpur	650.00	396.79	-38.96	650.00	656.17	0.9	650.00	344.67	-46.97
7.	Karauli	637.40	366.39	-42.52	637.40	758.67	19.0	637.40	321.15	-49.62
8.	S.Madhopur	664.00	444.59	-33.04	664.00	909.38	37.0	664.00	377.00	-43.22
	Bikaner Division									
9.	Bikaner	228.70	356.98	56.09	228.70	268.38	17.3	228.70	212.63	-7.03
10.	Churu	313.70	383.31	22.19	313.70	398.33	27.0	313.70	278.00	-11.38
11.	Ganganagar	201.40	280.64	39.34	201.40	140.56	-30.2	201.40	136.03	-32.46
12.	Hanumangarh	252.50	262.57	3.99	252.50	229.00	-9.3	252.50	236.57	-6.31
	Jaipur Division									
13.	Alwar	555.30	348.45	-37.25	555.30	633.65	14.1	555.30	297.53	-46.42
14.	Dausa	612.10	315.71	-48.42	612.10	863.88	41.1	612.10	320.50	-47.64
15.	Jaipur	524.60	341.32	-34.94	524.60	555.81	5.9	524.60	319.89	-39.02
16.	Jhunjhunu	410.00	347.21	-15.31	410.00	501.29	22.3	410.00	269.71	-34.22
17.	Sikar	402.50	458.50	13.91	402.50	485.38	20.6	402.50	296.38	-26.37
	Jodhpur Division									
18.	Barmer	243.40	406.59	67.05	243.40	260.27	6.9	243.40	464.40	90.80
19.	Jaisalmer	158.40	322.03	103.30	158.40	131.08	-17.2	158.40	222.33	40.36
20.	Jalore	394.20	647.73	64.32	394.20	430.93	9.3	394.20	919.78	133.33
21.	Jodhpur	274.50	361.00	31.51	274.50	367.07	33.7	274.50	334.65	21.91
22.	Pali	446.70	526.07	11.77	446.70	827.77	85.3	446.70	780.70	74.77
23.	Sirohi	868.60	831.46	-4.28	868.60	823.75	-5.2	868.60	1566.78	80.38
	Kota Division									
24.	Baran	792.20	892.71	12.69	792.20	1161.13	46.6	792.20	546.00	-31.08
25.	Bundi	655.90	620.46	-5.40	655.90	886.83	35.2	655.90	458.50	-30.10
26.	Jhalawar	855.10	1096.32	28.21	855.10	1119.42	30.9	855.10	772.92	-9.61
27.	Kota	746.30	775.72	3.94	746.30	835.88	12.0	746.30	471.35	-36.84
	Udaipur Division									
28.	Banswara	831.80	673.83	-18.99	831.80	1019.93	22.6	831.80	899.14	8.10
29.	Chittorgarh	709.70	584.46	-17.65	709.70	1300.27	83.2	709.70	691.09	-2.62
30.	Dungarpur	637.80	671.13	5.23	637.80	844.75	32.4	637.80	824.83	29.32
31.	Pratapgarh	845.80	652.96	-22.80	845.80	1266.80	49.8	845.80	1090.60	28.94
32.	Rajsamand	506.00	527.36	4.22	506.00	794.86	57.1	506.00	728.43	43.96
33.	Udaipur	591.30	633.79	7.19	591.30	832.54	40.8	591.30	829.73	40.32
Avr. Rajasthan		530.08	505.15	-4.70	530.08	678.56	28.0	530.08	514.25	(-) 2.98%